नोट

84-24 फसली वर्ष के दौरान ग्राम/उपग्राम प्राणी/अ उप
~~वस्त~~ ~~वस्त~~ अवधि दिलाई गई कोई अपना ही अपंजीकृत
प्राणी अ उपग्रामीण अथवा पैदावी अथवा लगाती भी
खारीज किया जाता है। वाद केवल स्वयम अप
वाद है।

उपखण्ड अधिकारी
बागसोट जिला धौलपुर (राज०)